



डा० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
 उत्तर प्रदेश सरकार

पत्रांक : 1185 / फा०सं०-499 / एच०ओ०डी० / डॉ.श.मि.रा.पु.वि. / 2024-25

दिनांक: 26 सितम्बर, 2024

कार्यालय-आदेश

विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा-28 में व्यवस्थानुसार "(1) विश्वविद्यालय में प्रत्येक विभाग के लिए एक विभागाध्यक्ष होगा। (2) विभागाध्यक्षों की शक्तियाँ, कृत्य, नियुक्तियाँ और सेवा शर्तें वहीं होंगी जैसा विहित किया जाए"। तत्क्रम में विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली, 2009 के अध्याय-5 में विभागों के अध्यक्ष की नियुक्ति के सम्बन्ध में धारा-5.05 से 5.09 में दी गई व्यवस्था एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ० प्र० शासन के शासनादेश सं०-12/06/65-3-2014 दिनांक: 10.01.2014 में विहित व्यवस्था के क्रम में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में कार्यरत शिक्षकवृन्द को तालिका में नाम के सम्मुख निम्नानुसार 03 वर्ष हेतु विभाग के विभागाध्यक्ष इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से नियुक्त किया जाता है-

क्र.सं.	विभाग का नाम	नियुक्त विभागाध्यक्ष
1.	अंग्रेजी एवं अन्य विदेशी भाषा	प्रो० विनोद कुमार सिंह, आचार्य, अंग्रेजी
2.	राजनीति शास्त्र एवं लोक प्रशासन	प्रो० अश्वनी कुमार दुबे, आचार्य, राजनीतिशास्त्र
3.	वाणिज्य	डॉ० संजीव गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य

इन विभागाध्यक्षों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं प्रथम परिनियमावली में दी गई संगत व्यवस्थाओं के अधीन अपने-अपने कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व का निर्वहन किया जायेगा।

इस दायित्व के लिए विभागाध्यक्षों को किसी प्रकार का अतिरिक्त वेतन, भत्ते अथवा मानदेय आदि देय नहीं होगा।

(डॉ० अमित कुमार राय)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मा० कुलपति महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय।
3. समस्त अधिकारीगण, विश्वविद्यालय।
4. प्रो० विनोद कुमार सिंह, आचार्य, अंग्रेजी।
5. प्रो० अश्वनी कुमार दुबे, आचार्य, राजनीतिशास्त्र
6. डॉ० संजीव गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य।
7. सम्बन्धित विभाग के समस्त शिक्षकवृन्द, विश्वविद्यालय।
8. सिस्टम एनालिस्ट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. सम्बन्धित शिक्षकवृन्द की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
10. गार्ड फाइल।

26/9/24
(डॉ० अमित कुमार राय)
कुलसचिव